"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-0. ."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 सितम्बर 2008—भाद्र 28, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/?.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को दिनांक 30-07-2008 से 02-08-2008 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-08-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 5-40/2008/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा "माधवराव सप्रे राष्ट्रवादी पत्रकारिता शोधपीठ" की स्थापना कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के परिसर में स्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 5-41/2008/38-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा "पं. दीनदयाल उपाध्याय मानव अध्ययन शोधपीठ" की स्थापना कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के परिसर में स्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक एस. एफ. 1-13/2008/16.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7 तथा धारा 33-बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक F 1-18/16/05 रायपुर, दिनांक 02-0[illegible]-2007 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(अ) उक्त अधिनियम के अधीन द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित किसी भी विषय से संबंधित औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय करने तथा ऐसे कृत्यों को जो उन्हें सौंपे जायें, पालन करने के लिये नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित श्रम न्यायालयों का [illegible] करता है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के [illegible] में पूर्वाक्षेपी प्रभाव से उनके द्वारा संबंधित श्रम न्यायालयों का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है :—

सारणी

अ. क्र. (1)	नाम श्रम न्यायालय (2)	पीठासीन अधिकारी का नाम (3)
1.	श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री एस. के. त्रिपाठी
2.	श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री ए. के. सनोठिया

(ब) उक्त एक्ट के अधीन समस्त कार्यवाहियां जो पूर्व की अधिसूचनाओं के अधीन संबंधित स्थानों पर गठित श्रम न्यायालयों के समक्ष लंबित थी, उक्त श्रम न्यायालयों से प्रत्याहरित करता है और उन्हें वर्तमान अधिसूचना के अधीन गठित तत्स्थानीय श्रम न्यायालयों को अंतरित करता है और आदेश देता है कि वे श्रम न्यायालय जिनकी कार्यवाहियां उक्त प्रकार से अंतरित की गई, उक्त कार्यवाहियों को उस प्रक्रम से आगे चलायेंगे, जिस पर कि वे उक्त प्रकार से अंतरित हुई है.

No. S. F. 1-13/2008/16.—In exercise of the powers conferred by Section 7 and Section 33-B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and making partial amendment in the notification No. F 1-18/16/05 Raipur. Dated 02-04-2007 issued in this behalf of the State Government hereby :—

(A) Constitutes the Labour Courts specified in column (2) of Table below for the adjudication of Industrial Disputes relating to any matter specified in the second schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under the said Act, and appoints the persons specified in the corresponding entry in column (3) of the said table as the Presiding Officers of the said Courts with retrospective effect from the date of taking over charge by them of the Labour Court concerned :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Labour Court (2)	Name of Presiding Officer (3)
1.	Labour Court, Jagdalpur	Shri S. K. Tripathi
2.	Labour Court, Ambikapur	Shri A. K. Sanothiya

(B) Withdraws all proceedings under the said Act pending before the Labour Court constituted under previous Notification at the place concerned and transfers them to the corresponding Labour Courts constituted under the present Notification and direct that the Labour Court to which proceedings are transferred shall proceed with them from the stage at which they are transferred.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 1-34/08/23/वियो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ. ग. के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 1989 में निम्न लिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त नियमों में :—

(1) अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कुल पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	127	छ. ग. आर्थिक एवं सांख्यिकी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा	रुपये 5500-9000
2. सहायक प्रोग्रामर	02	—तदैव—	रुपये 5500-9000
3. अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	173	—तदैव—	रुपये 4500-7000
4. संगणक	20	—तदैव—	रुपये 3500-5200

(2) अनुसूची-दो, तीन तथा चार के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

भरती का तरीका

क्र.	पद का नाम	सेवा का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			रिमार्क
				सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिए (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा)	सेवा के सदस्य की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिए	अनुसचिवीय सेवा के सदस्यों की नियुक्ति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (घ) देखिए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	छ. ग. आर्थिक एवं सांख्यिकी (कार्यपालिक) सेवा	127	40%	50%	10%	—
2.	सहायक प्रोग्रामर	—तदैव—	02	100%	—	—	—
3.	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक.	—तदैव—	173	75%	10%	15%	—
4.	संगणक	—तदैव—	20	90%	—	10%	—

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

क्र.	पद का नाम	सेवा का प्रकार	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्व-विद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा प्रचालन में स्नातक उपाधि या पी. जी. डी. सी. ए. अथवा समकक्ष अर्हता.	
2.	सहायक प्रोग्रामर	छत्तीसगढ़ आर्थिक एवं सांख्यिकी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, संक्रिया अनुसंधान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेज से कम्प्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रानिक्स में बी. ई./बी. टेक की परीक्षा उत्तीर्ण. (ख) अनुभव : कम्प्यूटर प्रचालन एवं इलेक्ट्रानिक्स डाटा प्रोसेसिंग कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी.	—
3.	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक.	—तदैव—	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक. **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि. (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्व-विद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा प्रचालन में स्नातक उपाधि या पी. जी. डी. सी. ए. अथवा समकक्ष अर्हता.	—
4.	संगणक	—तदैव—	21 वर्ष	30 वर्ष	(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित अथवा समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम स्नातक उपाधि.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					(ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्व-विद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन अथवा प्रचालन में स्नातक उपाधि या पी. जी. डी. सी. ए. अथवा समकक्ष अर्हता.	

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति हेतु सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1. अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	03 वर्ष	1. संयुक्त संचालक (प्रशा.) - अध्यक्ष 2. उप संचालक (प्रशा.) - सदस्य 3. सहा. संचालक - सदस्य 4. अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई नामनिर्दिष्ट समकक्ष अधिकारी. - सदस्य
	2. संगणक	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	03 वर्ष	—तदैव—

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक एफ 1-41/08/23.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ. ग. के राज्यपाल एतद्द्वारा, छ. ग. राज्य योजना मण्डल (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त नियमों में :—

(1) अनुसूची-एक में (अ) कर्त्तव्य पद (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) के अंतर्गत अनुक्रमांक-2 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जायें :—

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2-अन्वेषक	4	सदस्य सचिव	राज्य योजना मण्डल सेवा (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक)	रु. 4500-7000

(2) अनुसूची-एक में (अ) कर्त्तव्य पद (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) के अंतर्गत अनुक्रमांक-4 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जायें :—

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	नियुक्ति प्राधिकारी	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4-लेखापाल	4	सदस्य सचिव	राज्य योजना मण्डल सेवा (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)	रु. 4000-6000

(3) अनुसूची-एक में (अ) कर्त्तव्य पद (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) के अंतर्गत अनुक्रमांक-6 एवं इससे से संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये तथा अनुक्रमांक 7, 8 एवं 9 के स्थान पर क्रमश: 6, 7 एवं 8 प्रतिस्थापित किया जाए :—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, अवर सचिव.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक/1596/15-2/2008 रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2008

राज्य के कृषकों को सहकारी कृषि ऋणों (अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन) पर ब्याज अनुदान नियम

प्रस्तावना :— प्रदेश में सहकारी क्षेत्र का त्रिस्तरीय ढांचा होने के कारण सहकारी बैंकों से संबद्ध कृषकों को अपेक्षाकृत कृषि ऋणों पर अधिक ब्याज दर भुगतान करना पड़ रहा है. केन्द्र शासन की अपेक्षा के अनुरूप, राज्य के कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा सहकारी बैंकों से संबद्ध कृषकों को वर्ष 2008-09 में 3% की ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा निर्धारित मार्जिन के आधार पर कृषकों को प्रभारित ब्याज दर यदि वर्ष 2008-09 में 3% से अधिक होगी तो अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में शासन द्वारा की जावेगी. इसके क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**
(एक) यह नियम "कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम 2008" कहलाएगा.

(दो) यह नियम 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावशील होगा.

(तीन) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

2. **परिभाषाएं :—**
(एक) **कृषक—** "कृषक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो भूस्वामी, मौरूसी कृषक, शासकीय पट्टेदार या सेवा भूमि के स्वत्व में कृषि भूमि धारण करता हो या अन्य किसी व्यक्ति की कृषि भूमि पर खेती करता हो.

(दो) **बैंक—** "बैंक" का अभिप्राय राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, से है. जिसे आगे क्रमश: शीर्ष बैंक, राज्य विकास बैंक, जिला बैंक एवं जिला विकास बैंक के नाम से उल्लेखित किया गया है.

(तीन) **संस्था**— "संस्था" का अभिप्राय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था/कृषक सेवा सहकारी संस्था/आदिमजाति बहुउद्देशीय सहकारी संस्था, से है.

(चार) **ऋण**— "ऋण" का अभिप्राय कृषक सदस्यों को नियम 2 (दो) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (तीन) में वर्णित संस्था ओं द्वारा वितरित, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण से है.

(पांच) **कृषि प्रयोजन**— "कृषि प्रयोजन" का अभिप्राय कृषि एवं कृषि संबद्ध प्रयोजनों संबंधी उन सभी कार्यों से है, जिनके लिए संस्था/बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है एवं जिसमें सामान्य कृषि कार्य के लिये वितरित ऋण, अन्य कृषि आदान एवं उपकरण, सिंचाई साधन, कृषि एवं कृषि संबद्ध उत्पादनों के विपणन सम्मिलित है. परन्तु इसमें आवास निर्माण हेतु ऋण, ट्रेक्टर, स्वचालित थ्रेशर, स्वचालित हार्वेस्टर एवं अन्य ऐसे स्वचालित उपकरण/वाहन जिनका पृथक से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकरण किया जाता है, के लिये लिया गया ऋण सम्मिलित नहीं होगे.

(छः) **पंजीयक**— "पंजीयक" का अभिप्राय सहकारी संस्थाओं के पंजीयक से है और उसमें सम्मिलित है सहकारी संस्थाओं के अपर पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप पंजीयक अथवा ऐसा कोई अधिकारी जो नियम 2 (दो) में वर्णित बैंक एवं नियम 2 (तीन) में वर्णित संस्था के लिए रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम हो.

(सात) **प्राइम लेंडिंग रेट**— "प्राइम लेंडिंग रेट" से अभिप्राय भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कास्ट ऑफ फंड, रिस्क फंड एवं ट्रान्जेक्शन कॉस्ट के आधार पर निर्धारित उधार देने की न्यूनतम दर से है.

3. **पात्रता :—**

(एक) ब्याज अनुदान की पात्रता नियम, नियम 2 (दो) में वर्णित बैंकों एवं नियम 2 (तीन) में वर्णित संस्था को होगी.

(दो) ब्याज अनुदान की पात्रता उस ऋण पर होगी जो नियम 2 (पांच) में वर्णित कृषि प्रयोजनों के लिये वर्ष 2008-09 में 3% वार्षिक ब्याज दर में दिये गये हों जिस पर वित्त पोषक बैंक को लागत 3% से अधिक आई हो.

(तीन) बैंक के प्राइम लेन्डिन्ग रेट में बैंक का स्वयं का मार्जिन एवं संस्था के मार्जिन में पंजीयक के निर्देशानुसार मार्जिन कम किए जाने के बाद, निर्धारित ब्याज दर यदि वर्ष 2008-09 में 3 प्रतिशत से अधिक हो तो पात्रता होगी.

(चार) बैंक का प्राइम लेंडिन्ग रेट की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत किया जावेगा.

(पांच) बैंक के प्राइम लेंडिन्ग रेट में परिवर्तन होने पर ब्याज दर का पुनः निर्धारण किया जावेगा.

4. **ब्याज अनुदान का आंकलन :—** बैंक द्वारा आंकलित प्राईम लेंडिंग रेट एवं पंजीयक द्वारा बैंक एवं संस्था के लिये निर्धारित मार्जिन के आधार पर कृषक स्तर पर ब्याज दरों का निर्धारण करने के फलस्वरूप ब्याज दर वर्ष 2008-09 में 3% प्रतिशत वार्षिक से अधिक होने पर अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जावेगी.

ब्याज अनुदान आंकलन का सूत्र निम्नानुसार होगा :—

वर्ष 2008-09 (01-04-2008 से) :—

(अ) **संस्था के लिए :—** बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट+बैंक का पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित मार्जिन+संस्था का पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित मार्जिन-3 प्रतिशत = ब्याज अनुदान.

(ब) **जिला विकास बैंकों के लिए :—** बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट + बैंक का पंजीयक के निर्देशानुसार निर्धारित मार्जिन -3 प्रतिशत = ब्याज अनुदान.

5. **आहरण एवं भुगतान की प्रक्रिया :—**

(एक) ब्याज अनुदान का आंकलन कर क्लेम प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(क) **संस्था के लिए :—** संस्था इस नियम की कंडिका क्रमांक 3 की पात्रता अनुसार एवं कंडिका क्रमांक 4 के

अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्लेम जिला बैंकों को प्रस्तुत करेगा. जिला बैंक प्रस्तुत क्लेम का अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक की स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(ख) **जिला विकास बैंकों के लिए :—** बैंक इस नियम की कंडिका क्रमांक 3 की पात्रता अनुसार एवं कंडिका 4 के अनुसार ब्याज अनुदान का आंकलन कर पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्लेम तैयार कर अंकेक्षक से अंकेक्षण कराकर जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक से स्वीकृति प्राप्त करेगा.

(दो) इस नियम के प्रभावशील होने के वर्ष में, राज्य शासन की ओर से बैंकों को जो ब्याज अनुदान दिया जाना है, वह वर्ष के प्रारंभ से ही शासन पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ. ग. एवं शीर्ष बैंक के माध्यम से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को उपलब्ध करा दिया जाएगा. यह अनुदान गत वर्षों की ऋण स्वीकृति के आधार पर गणना की जाकर उपलब्ध कराया जाएगा. संस्था एवं जिला विकास बैंकों द्वारा ब्याज अनुदान का क्लेम निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के 30 दिवस के अंदर किया जावेगा. जिला बैंक एवं राज्य विकास बैंक द्वारा प्रस्तुत क्लेम पत्रक का, जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा स्वीकृति उपरांत राशि का भुगतान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा किया जावेगा.

(तीन) उपरोक्त अग्रिम राशि में से ब्याज अनुदान प्रत्येक तिमाही में क्लेम के आधार पर समायोजित कर शासन से पुनः उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार क्लेम प्रेषित कर आगामी राशि प्राप्त की जावेगी.

(चार) इस नियम की अवहेलना पाये जाने पर ब्याज अनुदान रोकने/स्थगित करने का अधिकार पंजीयक/शासन को होगा.

(पांच) ब्याज अनुदान के लिए आवश्यक बजट प्रावधान सहकारिता विभाग द्वारा किया जावेगा.

6. **उपयोगिता प्रमाण पत्र :—** ब्याज अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जिले के संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा सत्यापित कराकर जिला बैंक द्वारा शीर्ष बैंक तथा जिला विकास बैंकों द्वारा राज्य विकास बैंक के माध्यम से पंजीयक को प्रस्तुत किया जावेगा.

7. **विविध :—**

(एक) राज्य शासन/पंजीयक को इस नियम के सुचारू रूप से संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रशासनिक मार्गदर्शन, निर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा.

(दो) इस नियम में संशोधन करने का अधिकार राज्य शासन को होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक/एफ 1-5/15-1/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिकारी को सहायक पंजीयक के पद पर उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथि से स्थाई किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम/पद	वह पद जिस पर स्थायी किया गया है	स्थायीकरण की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री सी. एल. ठाकुर सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
2.	श्री संदीप गुप्ता सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री कमल नारायण काण्डे सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
4.	श्री लखन लाल बृंझ सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
5.	श्री डी. पी. टावरी सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
6.	श्री विनोद कुमार बुनकर सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
7.	श्री सुशील कुमार तिग्गा सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
8.	श्री भूपेन्द्र कुमार ठाकुर सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
9.	श्री रजउ राम भरकाम सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
10.	श्री नकुल राम कंवर चंद्रवंशी सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008
11.	श्री दिलीप जायसवाल सहायक पंजीयक.	सहायक पंजीयक	01-04-2008

उक्त स्थायीकरण से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमेगा युनाईस टोप्पो, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती रेणु शर्मा, कौरिनभाठा, वार्ड नं. 39, शीतला मंदिर के पास राजनांदगांव को जिला उपभोक्ता फोरम, राजनांदगांव में सदस्य के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 5-1/खाद्य/2005/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, सचिव.

Raipur, the 29th August 2008

No. F 5-1/food/2005/29.—In Exercise of the powers conferred by sub section (1-B) of section 10 of the Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986) on the recommendation of the Selection Committee, the State Government is hereby appoint Smt. Renu Sharma, Kaurinbhatha, Ward No. 39, Near Shitala Mandir, Rajnandgaon is the member in the District Consumer Forum, Rajnandgaon with effect from the taking over the charge for a period of 5 years or 65 years age whichever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
B. S. ANANT, Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 10-26/2008/29/खाद्य.—राज्य शासन एतद्द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 में किए गए संशोधन अनुसार संभागीय आयुक्तों को निम्नलिखित प्रशासकीय/वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करता है :—

(प्रशासनिक अधिकार)

क्र.	कलेक्टर/विभागाध्यक्ष (आयुक्त) को वेष्ठित अधिकार	संभागीय आयुक्त को प्रत्यायोजित अधिकार
(1)	(2)	(3)
1.	अर्जित अवकाश एवं लघुकृत अवकाश स्वीकृत करना.	प्रथम श्रेणी 60 दिवस, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) तक के अधिकारी/कर्मचारियों के बारे में सम्पूर्ण अधिकार/केवल ऐसे अवकाश को छोड़कर जो वित्त विभाग की सहमति से ही स्वीकृत किये जाते हैं (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
2.	राज्य के बाहर यात्रा करने की स्वीकृति	द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) तक के अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में सम्पूर्ण अधिकार व शर्तें यात्रा की अवधि 10 दिवस से अधिक न हो (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
3.	विभागीय जांच संस्थित करना	द्वितीय श्रेणी तक के अधिकारियों के बारे में विभागीय जांच संस्थित करने तथा लघु शास्ति अधिरोपित करने के बारे में पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
4.	लघु शास्ति एवं दीर्घ शास्ति के मामलों में अपील की सुनवाई.	जिला कलेक्टर द्वारा खाद्य अधिकारी/सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों को दी गई लघु शास्ति एवं दीर्घ शास्ति बाबत अपील की सुनवाई करना (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).

(1)	(2)	(3)
5.	खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी/सहायक खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर मतांकन.	सहायक खाद्य अधिकारी/खाद्य निरीक्षक के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन पर अंतिम मतांकन तथा खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर द्वितीय मतांकन का अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
		(वित्तीय अधिकार)
1.	नियंत्रणकर्ता अधिकारी तथा आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करना.	क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले जिलों में नियंत्रण अधिकारी तथा आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करने का सम्पूर्ण अधिकार.
2.	कार्यालय भवन हेतु किराया निर्धारण करना.	कार्यालय उपयोग हेतु शासकीय भवन उपलब्ध न रहने की स्थिति में 2000 रुपये तक मासिक किराये के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा 2000 रुपये से अधिक मासिक किराये के लिए कलेक्टर का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र तथा शासकीय भवन उपलब्ध न रहने की स्थिति में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर निजी भवन किराये पर लिये जाने हेतु किराया निर्धारण के सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
3.	खाद्यान्न भंडारण के लिए किराये पर गोदामों का लिया जाना.	खाद्यान्न भंडारण के लिए शासकीय गोदाम उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग से अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तथा जिला कलेक्टर से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यालय तथा खाद्यान्न भंडारण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया निर्धारण करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत.)
4.	कार्यालय उपयोग हेतु लिये गये भवन में शासकीय अधिकारी द्वारा निवास किये जाने पर किराया निर्धारण किया जाना.	कार्यालय उपयोग हेतु किराये पर लिये गये भवन के कुछ भाग में शासकीय अधिकारी द्वारा निवास किये जाने पर भवन का किराया निर्धारण करने का सम्पूर्ण अधिकार.
5.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को निवास हेतु भूखंड क्रय करने हेतु, भवन मरम्मत करने एवं मोटर कार क्रय करने एवं कम्प्यूटर क्रय करने के लिए राशि स्वीकृत करना.	छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को उनके निवास हेतु भूखण्ड क्रय करने, भवन क्रय करने, भवन निर्माण करने, मरम्मत करने तथा निर्माण में परिवर्तन करने तथा मोटर कार एवं कम्प्यूटर क्रय करने के लिए ऋण स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
6.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के दिवंगत होने पर भूखंड, भवन, भवन निर्माण के लिए दी गई राशि की ब्याज सहित वसूली समाप्त करना.	वित्त विभाग के मेमो नं. जी-3/1/95/सी/4, दिनांक 08-02-1995 के प्रावधानों के तहत भूखंड, भवन, भवन निर्माण के लिये दी गई राशि में दिवंगत कर्मचारी/अधिकारी से ब्याज सहित वसूली समाप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
7.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को मोटर सायकिल, स्कूटर मोपेड क्रय करने हेतु राशि स्वीकृत करना.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों को मोटर सायकल, स्कूटर, मोपेड क्रय करने हेतु राशि स्वीकृत करने का अधिकार किन्तु अस्थाई शासकीय कर्मचारियों/अधिकारी को पर्याप्त अमानत राशि जमा करने पर राशि स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).

(1)	(2)	(3)
8.	चिकित्सा राशि स्वीकृत करना	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा विभाग के मेमो नं. जी-3/2/94/सी-5, दिनांक 08-02-1994 के प्रावधानों के तहत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को चिकित्सा कार्य में होने वाले व्यय राशि का 80 प्रतिशत स्वीकृत करने का अधिकार.
9.	निर्धारित अवधि से 1 साल बाद तक प्रस्तुत यात्रा देयकों को स्वीकृत करना.	शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि तक यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत न होने की स्थिति में 01 (एक) वर्ष की अवधि तक प्रस्तुत किये गये यात्रा देयकों को स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
10.	निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किये गये रियायती अवकाश यात्रा (एलटीसी) देयकों को स्वीकृत करना.	परीक्षण उपरान्त अपरिहार्य कारणों से रियायती अवकाश यात्रा देयक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत न होना पाया जाने निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किये गये रियायती अवकाश यात्रा देयक स्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
11.	निर्धारित अवधि के उपरान्त प्रस्तुत किये गये चिकित्सा देयकों को स्वीकृत करना.	परीक्षण उपरान्त अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि के अंदर चिकित्सा देयक प्रस्तुत न होना पाया जाने पर निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किये गये चिकित्सा देयकों को स्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
12.	दिवंगत शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के परिवार को अनुग्रह सहायता राशि (एक्सग्रेशिया) स्वीकृत करना.	शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों एवं निर्देशों के तहत मृत शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के परिवार को छः माह के वेतन के बराबर अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत करना.
13.	अनुपयोगी डेड स्टाक का निराकरण	गठित कमेटी जिसमें कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सम्मिलित हो, के प्रमाण-पत्र के आधार पर दो लाख की लागत तक के डेड स्टाक का निराकरण करने का संपूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
14.	आम नीलामी के आधार पर डेड स्टाक तथा अन्य स्टोर का निराकरण करना.	आम नीलामी पर डेड स्टाक एवं स्टोर सामग्रियों का निराकरण करने का सम्पूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
15.	छोटे नुकसान एवं अपूर्णीय मूल्यों की चोरी की राशि जिसे पुलिस द्वारा पहचान न हो पाना बताया गया हो, को निराकृत करना.	दो लाख रुपये तक के नुकसान तथा अपूर्णनीय मूल्य की चोरी का निराकृत करने का संपूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अंतर्गत).
16.	वसूली न हो पाने वाली अपलेखित राशि का निराकरण.	वसूली न हो पाने के पर्याप्त प्रमाण के आधार पर एक लाख रुपयें तक प्रति अपलेखित प्रकरण को निराकृत करने का संपूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अंतर्गत).
17.	अपलेखित राशि का भुगतान करना	माननीय न्यायालयों के आदेश के आधार पर अपलेखित राशि का भुगतान करने का संपूर्ण अधिकार (क्षेत्राधिकार के अंतर्गत).

(1)	(2)	(3)
18.	नया दूरभाष स्थापित करने की स्वीकृति	समय-समय पर गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर नया दूरभाष स्थापित करने की स्वीकृति देने का अधिकार (क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत).
19.	वाहनों की मरम्मत	अट्ठारह अश्वशक्ति के वाहनों की मरम्मत के लिए 20000 रुपये (बीस हजार रुपये) प्रतिवर्ष तथा अट्ठारह अश्व शक्ति के ऊपर के वाहनों की मरम्मत के लिए 30000 (तीस हजार रुपये) प्रतिवर्ष स्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/101/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	दुर्गूकोंदल	नवागांव	0.52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कांकेर.	दुर्गूकोंदल-दमकसा मार्ग कि. मी. 7/2 खण्डी नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण.

कांकेर, दिनांक 29 अगस्त 2008

क्रमांक/104/कले./भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	भानुप्रतापपुर	साल्हे	0.60	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स), कांकेर.	साल्हे मुख्य मार्ग कि. मी. 3/6 में कुसूमनाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 सितम्बर 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/32.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	हसौद प.ह.नं. 26	0.186	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-2, चांपा.	चिस्दा माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2008

क्रमांक 12/अ-82/07-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	मोढ़े	1.266	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन, मुंगेली.	लोवर मनियारी व्यपवर्तन योजना मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक 31/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प. ह. नं. 07	1.249	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	[illegible] नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2008

क्रमांक 33/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	डाडबछाली प. ह. नं. 01	0.113	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	नहर निर्माण के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 जुलाई 2008

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	देवीपुर	0.420	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, जिला- सरगुजा (छ. ग.).	देवीपुर जलाशय के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र. 1/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	सलका	176.990	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र. 2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	नारायणपुर	60.681	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	कठमुंडा	101.406	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 27 अगस्त 2008

रा. प्र. क्र. 4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	उदयपुर	मुड़गांव	57.512	संचालक, उद्योग संचालनालय, छ. ग. रायपुर (अधोसंरचना विकास कक्ष).	1000 मेगावाट प्रेमनगर ताप विद्युत परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परियोजना प्रेमनगर/भैयाथान, मुख्यालय अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 15 जुलाई 2008

क्रमांक 2/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-देवीपुर, प. ह. नं. 46
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.420 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1058	0.227
	1020	0.064
	1021	0.052
	1059	0.057
	1061	0.020
योग	5	0.420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवीपुर जलाशय योजना के सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक/126/क/अविअ/भू. अ./01 अ-82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-साजापाली, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.77 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
84/2	0.03
83	0.05
111	0.18
152	0.13
164	0.03
147	0.04
163	0.03
102	0.12
162	0.03
161	0.02
101	0.08
146	0.04
15[illegible]	0.04
103	0.11
135	0.06
149	0.49
150	0.45
148	0.23
15[illegible]	0.15

(1)	(2)
106	0.72
107	0.10
130	0.09
108	0.10
131	0.10
109	0.09
110	0.24
85/2	0.22
105/1	0.07
105/2	0.08
104	0.05
132/1	0.24
132/2	0.24
93/2	0.12
योग 33	4.77

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छिर्रापाली जलाशय के उलट निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 14 अगस्त 2008

क्रमांक/127/क/अविअ/भू. अ./02 अ-82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-बहेरापाली, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
592	0.10
634/1	0.07
562	0.06
559/2	0.01
590	0.03
600/2	0.01
563/2	0.04
557/2	0.06
597	0.03
551	0.04
613	0.05
621/1	0.15
484	0.12
620	0.10
634/2	0.07
524/2	0.05
602	0.01
623	0.01
554	0.08
573	0.06
616	0.08
586	0.01
601	0.10
614	0.09
654	0.04
691	0.01
698	0.08
615	0.07
588	0.12
594	0.02
563/1	0.04
557/1	0.06
595	0.01
653	0.15
560	0.07
565	0.01
651	0.13
695	0.08
523/1	0.12
599	0.02
600/1	0.12
603/1	0.08
696	0.07

(1)	(2)
578/1	0.10
603/7	0.07
587/1	0.01
566/4	0.01
459	0.08
520	0.09
521	0.09
योग 50	3.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छिर्रापाली जलाशय के बायीं तट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्र. /प्र-1/सन् 08/1430.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-बोरिया, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1273	0.06
1274	0.17
1278	0.46
1279	0.27
1280	0.14
1281	0.03
1275	0.11
1284	0.13
1276	0.07
1277	0.07
1282	0.24
1285	0.11
1291	0.09
1286	0.07
1289	0.03
1290	0.05
1287	0.03
1288	0.04
1292	0.06
1283	0.05
1299/2	0.40
1302	0.10
1300	0.24
1306	0.20
1301	0.27
1303	0.47
1298/1	0.30
1305	0.54
1298/2	0.20
1309	0.34
1310	0.18
1341	0.18
1304	0.58
1252	0.04
1008	0.38
1009	0.15
1245	0.01
1248	0.04
1251	0.07
1249	0.09
1250	0.12
योग 41	7.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 4 सितम्बर 2008

क्रमांक/1874/अ-82/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-पाटन
(ग) नगर/ग्राम-खुड़मुड़ी, प. ह. नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
367/1, 368/1	0.55
367/6, 368/2	0.50
योग	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खुड़मुड़ी जलाशय नहर प्रणाली के अन्तर्गत.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मुख्यालय, दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 14 मई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/क्रमांक 16 अ/82 वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा, प. ह. नं. 19
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.216 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
45/37	0.624
380/7	0.636
299/1	0.867
55/1	0.344
45/61	1.045
45/47	0.680
189	0.101
252/2	0.032
190	0.041
78	0.004
302/1	1.354
45/3	
55/2	0.004
45/20	0.004
45/22	0.024
45/5	
246	0.004
380/41	0.502
247/1	0.178
380/45	0.502
249	0.365
252/4	0.324
302/8	0.275
380/2	1.069
250	0.247
380/13	0.482
380/17	0.470
380/75	0.223
380/10	0.668
380/11	1.555
302/28	1.230
380/14	0.275
188	0.182
239	0.049
240	0.105
241/1	0.446

	(1)	(2)
	241/2	0.121
	243	0.223
	244/1	0.121
	245	0.016
	45/2	
	55/4	
	65/1	0.009
	302/11	
	302/21	
	302/48	1.313
	380/106	0.502
योग	41	17.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मर्राकोनी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2008

भू-अर्जन प्र. क्र. 08 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-सर्वा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.231 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1129/2	0.016
	1128	0.154
	1129/1	0.062
	1173, 1174/1	0.242
	1154	0.146
	966	0.058
	1173, 1174/2	0.198
	1228, 1229	0.576
	967/1	0.032
	1149/1	0.082
	1150	0.120
	1151/1	0.008
	1153	0.089
	1144	0.032
	1172/2	0.032
	1145	0.016
	1155	0.049
	1173/3	0.089
	1175	0.021
	1221	0.089
	1164	0.120
योग	21	2.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सर्वा मल्दा सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्र. क्र. 09 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.541 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
408/1	0.261
406/1	0.032
405	0.016
401	0.012
400/1	0.012
892	0.012
399/3	0.053
397/1	0.024
869	0.093
889/6	0.085
396/2	0.036
393/1	0.061
409	0.291
866	0.028
395	0.053
393/2	0.049
444	0.004
365	0.101
902/1	0.089
894/1	0.045
362/1 ड	0.008
303, 304	0.069
816/2	0.004
817	0.117
818	0.028
826	0.105
825	0.182
827	0.016
828	0.101
877/1	0.116
844	0.129
845	0.089
846	0.008
868	0.240
865	0.064
863	0.004
877/2	0.004
877/3	0.126
878	0.240
879	0.004
888/1	0.004
888/2	0.081
890	0.088
891/3	0.004
894/2	0.041
904/2	0.093
905/2, 905/3	0.004
903	0.041
901	0.053
904/1	0.089
902/2	0.032
योग 51	3.541

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है— मल्दा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

परिशिष्ट-1 क

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2008

क्र. एफ-23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/08/1454.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन 2008 हेतु

नगर पंचायत, बसना में जहां पार्षद के रिक्त स्थान है वहां नवंबर-दिसम्बर 2008 में उप निर्वाचन होना है. उप चुनाव (उत्तरार्द्ध) 2008 के लिए संबंधित नगरीय निकायों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :—

मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

क्र. (1)	कार्यवाही विवरण (2)	निर्धारित तारीख (3)
	प्रथम चरण	
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	01-09-2008 (सोमवार)
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन .	02-09-2008 (मंगलवार)
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना .	03-09-2008 (बुधवार) से 08-09-2008 (सोमवार) तक
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	10-09-2008 (बुधवार)
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण	11-09-2008 (गुरुवार)
	द्वितीय चरण	
1.	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधानसभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना भेजना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	12-09-2008 (शुक्रवार)
2.	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की कार्य की शुरुवात.	17-09-2008 (बुधवार)
3.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्ति की अंतिम तारीख	24-09-2008 (बुधवार) 3.00 बजे अपरान्ह तक
4.	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	26-09-2008 (शुक्रवार)
5.	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	29-09-2008 (सोमवार)
6.	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	01-10-2008 (बुधवार)
7.	अनुपूरक सूचियां, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना	03-10-2008 (शुक्रवार)
8.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	04-10-2008 (शनिवार)

परिशिष्ट-दो

नगरपालिकाओं के रिक्तिओं की जानकारी माह-जुलाई 2008 की स्थिति में

क्र.	जिला	नगरपालिका	पद एवं रिक्त वार्ड			
			महापौर	अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	महासमुन्द	नगर पंचायत, बसना	—	—	01	11

परिशिष्ट-एक

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्र. एफ-23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/08/1471.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा नगरपालिका उप निर्वाचन 2008 हेतु नगर पालिक निगम, बिलासपुर में जहां महापौर का पद रिक्त है वहां नवंबर-दिसम्बर 2008 में उप निर्वाचन होना है. उप चुनाव (उत्तरार्द्ध) 2008 के लिए संबंधित नगरीय निकायों की मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए निम्नांकित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :—

मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम

क्र.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित तारीख
(1)	(2)	(3)
	प्रथम चरण	
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	01-09-2008 (सोमवार)
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन	02-09-2008 (मंगलवार)
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना	03-09-2008 (बुधवार) से 08-09-2008 (सोमवार) तक
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	10-09-2008 (बुधवार)
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण	11-09-2008 (गुरुवार)
	द्वितीय चरण	
1.	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधानसभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना भेजना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	12-09-2008 (शुक्रवार)
2.	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने की कार्य की शुरुवात.	17-09-2008 (बुधवार)

(1)	(2)	(3)
3.	दावे तथा आपत्तियां प्राप्ति की अंतिम तारीख	24-09-2008 (बुधवार) 3.00 बजे अपरान्ह तक
4.	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	26-09-2008 (शुक्रवार)
5.	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	29-09-2008 (सोमवार)
6.	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	01-10-2008 (बुधवार)
7.	अनुपूरक सूचियां, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना	03-10-2008 (शुक्रवार)
8.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	04-10-2008 (शनिवार)

परिशिष्ट-दो

नगरपालिकाओं के रिक्तिओं की जानकारी माह-जुलाई 2008 की स्थिति में

क्र.	जिला	नगरपालिका	पद एवं रिक्त वार्ड			
			महापौर	अध्यक्ष	पार्षद	रिक्त वार्ड क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बिलासपुर	नगर पालिक निगम, बिलासपुर	01	—	—	—

हस्ता./-

(ओंकार सिंह)
सचिव,
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st September 2008

No. 51(mis)/I-7-3/2008 (Pt.-I).—It is hereby notified that 3rd September, 2008 is declared as holiday on account of "Ganesh Chaturthi' for the High Court and the Courts subordinate to this High Court.

By the order of the High Court,
ARVIND SHRIVASTAVA, Registrar General.